



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2013/वैशाख 25, 1935

No. 136]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2013/VAISAKHA 25, 1935

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2013

सं. भा.आ.प. 18(1)/2011-मेडि.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2012" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 की अनुसूची से "डी. एम." (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 4 पर "एंडोक्रिनोलोजी" हेतु पूर्व शर्त में से "एमडी (जीव रसायन विज्ञान)" का विलोप किया जायेगा।

प्रो. संजय श्रीवास्तव, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/13/असा.]

पाद टिप्पणी :—प्रधान नियमावली नामतः "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 17-11-2009, 9-12-2009, 16-4-2010, 8-12-2010, 27-12-2010, 09-02-2012, 27-2-2012 और 28-3-2012 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

1992 GI/2013

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2013

No. MCI. 18 (1)/2011-Med.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2012".

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In Schedule to Postgraduate Medical Education Regulation, 2000 under clause (C) under the heading D.M. (Doctor of Medicine) prior requirement for "Endocrinology" at Sl. No. 4 "MD (Biochemistry)" shall be deleted.

Prof. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy.

[ADVT.-III/4/100/13/Exty.]

Foot Note:—The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000, and amended *vide* MCI notification dated 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 17-11-2009, 9-12-2009, 16-4-2010, 8-12-2010, 27-12-2010, 09-02-2012, 27-02-2012 & 28-03-2012.